प्रेस नोट दिनांक 03.08.2026

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मान्धाता के उ0नि0 अलंकार यादव मय हमराह उ0नि0 विनोद सिंह यादव हे का0 अखिलेश कुमार, का0 अनी कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी दौरान मु0न0 64/21 मु0अ0स0 463/20 धारा 3 (1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) Sc/st से सम्बन्धित 01 अभियुक्त मनीष सिंह पुत्र श्याम बहादुर सिंह निवासी ग्राम पुरे गोसाई थाना मान्धाता, प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मनीष सिंह पुत्र श्याम बहादुर सिंह निवासी ग्राम पुरे गोसाई थाना मान्धाता, प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अलंकार यादव मय हमराह उ0नि0 विनोद सिंह यादव हे का0 अखिलेश कुमार, का0 अनी कुमार थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही : धर्मांतरण प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा "धर्म संपरिवर्तन" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

प्रतापगढ़।

वादी निवासी ग्राम बहरिया अहिना, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना मान्धाता पर तहरीरी सूचना प्रस्तुत की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि नामजद अभियुक्तगण द्वारा प्रवचन, प्रलोभन एवं दबाव/दबंगई के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास/कृत्य किया गया है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना मान्धाता पर मु0अ0सं0 40/2026, धारा 3/5(1)/11 उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता श्री धनंजय राय के नेतृत्व में उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा हमराह हे0का0 बीरेन्द्र यादव, म0का0 निशा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 40/26 धारा 3/5 (1)/11 उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त सुरेन्द्र गौतम पुत्र पृथ्वीपाल निवासी ग्राम रामनगर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 32 वर्ष को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामनगर उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सुरेन्द्र गौतम पुत्र पृथ्वीपाल निवासी ग्राम रामनगर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 32 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा हमराह हे0का0 बीरेन्द्र यादव, म0का0 निशा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी।
थाना कंधई पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित ₹25,000/- का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।
अभियुक्त को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत ईशनपुर ईदगाह के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी की तहरीर के आधार पर थाना कंधई पर अंतर्गत धारा 69/351(3) बीएनएस बनाम मुफीजु रहमान उर्फ मुफीज अहमद आदि पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा ₹25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कंधई प्रभारी निरीक्षक श्री आदित्य सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक श्री उमेश चन्द्र मय हमराह उ0नि0 सुरेश कुमार यादव, हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद, का0 विशाल वर्मा एवं म0का0 तनुजा शर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अंतर्गत धारा 69/351(3) बीएनएस से संबंधित ₹25,000/- का इनामी वांछित अभियुक्त मुफीजु रहमान उर्फ मुफीज अहमद पुत्र मो0 इलियास, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम गुतौली, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत ईशनपुर ईदगाह के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसके विरुद्ध थाना कंधई पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार लुक-छिपकर रह रहा था। आज वह कहीं बाहर जाने के उद्देश्य से ईशनपुर ईदगाह के पास साधन का इंतजार कर रहा था, तभी पुलिस टीम द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
मुफीजु रहमान उर्फ मुफीज अहमद पुत्र मो0 इलियास, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम गुतौली, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।
(अंतर्गत धारा 69/351(3) बीएनएस में वांछित ₹25,000/- का इनामी अभियुक्त)

पुलिस टीम का विवरण-
निरीक्षक उमेश चन्द्र, उ0नि0 सुरेश कुमार यादव, हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद, का0 विशाल वर्मा एवं म0का0 तनुजा शर्मा, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

🚨 प्रतापगढ़ पुलिस की अपील 🚨

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिला संबंधी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, साइबर उत्पीड़न, पीछा करना (स्टॉकिंग), धमकी या अन्य अपराध की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा प्रत्येक शिकायत पर त्वरित एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी।

याद रखें— चुप्पी नहीं, शिकायत करें। आपकी एक सूचना अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का आधार बन सकती है।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मंदिर की दान पेटिका से चोरी की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त राजाराम सरोज गिरफ्तार, चोरी के ₹2,817/- बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना नवाबगंज पुलिस को मिली सफलता। पंचमुखी हनुमान मंदिर की दान पेटिका से चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई ₹2,817/- की धनराशि बरामद की गई।

प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज पर पंचमुखी हनुमान मंदिर, ग्राम छाछामऊ कुसवापुर बाजार स्थित दान पेटिका से चोरी होने के संबंध में मु0अ0सं0 118/2026, धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान चोरी की धनराशि बरामद होने पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायन वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना नवाबगंज प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज के उ0नि0 दिलीप कुमार पाल मय हमराह उ0नि0 रामलाल राम, कां0 तेज प्रकाश, कां0 देवेश पाण्डेय एवं चालक पीआरडी त्रिदेव शुक्ला द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश वांछित अभियुक्त एवं मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 118/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त राजाराम सरोज पुत्र मुखिया सरोज, निवासी ग्राम पनिगौ, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष को थाना क्षेत्र के छाछामऊ नाला पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मंदिर की दान पेटिका से चोरी किए गए ₹2,817/- बरामद किए गए।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने दिनांक 03.08.2026 को पंचमुखी हनुमान मंदिर, छाछामऊ कुसवापुर बाजार स्थित दान पेटिका से रुपये चोरी किए थे। चोरी की धनराशि को लेकर वह जाने की फिराक में था, तभी पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया। मौके पर उपस्थित स्थानीय व्यक्तियों ने भी अभियुक्त की पहचान सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाले व्यक्ति के रूप में की।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजाराम सरोज पुत्र मुखिया सरोज, निवासी ग्राम पनिगौ, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी-

दान पेटिका से चोरी किए गए ₹2,817/-

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 दिलीप कुमार पाल, कां0 तेज प्रकाश, उ0नि0 रामलाल राम, कां0 देवेश पाण्डेय एवं चालक पीआरडी त्रिदेव शुक्ला, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।